and the Central Universities, the recommendation of the Education Commission that the Vice-Chancellors should retire at the age of 65 years.

With regard to Principals of Colleges and Heads of other educational bodies, it is not desirable to make any distinction between the age-limit prescribed for them and for teachers in general. In this context, the Education Commission recommended that "the normal retirement age for teachers should be 60 years; and there should be provision for extension upto 65 years provided the person is physically fit and mentally alert to discharge his duties efficiently". This recommendation has been brought to the notice of all the concerned authorities.

Murder of Tribal Girl near Mirzapur (U. P.)

4586. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have full report on the murder of a tribal girl Satia, near Mirzapur in Uttar Pradesh in which the former Deputy Chief Minister's son was alleged to be involved;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor and how the interests of the tribal and Harijan people will be safeguarded?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c). According to information furnished by the Government of Uttar Pradesh, one Shri Munni Lal lodged a verbal report at the police station Bharhan on 22-6-69 that his daughter was shot by one Ram Bahadur Singh, a servant of Ram Narayan Singh at the Gopalpur Farm when he came to his house and asked his deceased daughter as to why she did not come for work. The case was investigated by the State CID. Ram Bahadur Singh has been sent up to court on charges under section 302 IPC and sections 25/27 Arms Act. The cases are *sub judice*.

The Chief Minister U.P. in the course of a statement in the U.P. Vidhan Sabha had mentioned that there was no *prima facie* case to suggest the involvement of the son of the Deputy Chief Minister in the incident and that he would agree to institute an inquiry under the Commissions of Inquiry Act if the allegations were furnished to him in writing.

ग्वालियर के महाराजा की सम्पत्ति

4587. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर राज्य को मध्य प्रदेश में मिलाने के समय ग्वालियर के महाराजा और भारत सरकार के बीच हुए हस्ताक्षरित इकरारनामे के अनुसार ग्वालियर के महाराजा के निजी भवनों और भू-सम्पत्ति आदि की सूची तैयार की गई थी और उनके मानचित्र तैयार किये गये थे तथा उन पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) क्या उस सूची और मानचित्रों के अनुसार संबंधित महाराजा को उनकी सम्पत्ति सौंप दी गई थी और यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों ने ग्वालियर के महाराजा की कुछ भू-सम्पत्ति पर कब्जा कर रखा है; और

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ग्वालियर के महाराजा की निजी सम्पत्तियां भारत सरकार द्वारा मध्य भारत के संयुक्त राज्य का निर्माण करने के लिए हस्ताक्षरित इकरारनामे के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की गई थी ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे सम्पत्तियां, जो महाराजा की निजी संपत्तियां घोषित की गई थीं, उनको 1950 में सौंपी गई थीं । बाद में, ग्वालियर के वर्तमान महाराजा से यह शिकायत मिलने पर कि भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त उनकी निजी सम्पत्तियां नक्शे, मानचित्रों इत्यादि के अनुसार उनको नहीं सौंपी गई थीं, राज्य सरकार ने यह स्पष्टीकरण चाहा कि सूची अथवा नक्शे में असमानता होने पर किसको ठीक माना जाए । उन्हें सूचित किया गया कि जब तक कोई विशेष परिस्थितियां प्रतिकूल निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराती हैं, जिनमें किसी वर्णनात्मक सूची और एक मानचित्र अथवा एक नक्शे के बीच अन्तर होता है, तो उस सूची को मूल दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

(ग) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल राइफल एसोसियेशन आफ इंडिया

4588. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा हर वर्ष नई अनियमितायें की गई हैं तथा इसके लेखों को ठीक प्रकार से नहीं रखा जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में बताई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदानों के उपयोग के संबंध में कोई अनियमितताएं सरकार के नोटिस में नहीं आई हैं । जहां तक एसोसिएशन के वार्षिक खातों का संबंध है, एसोसिएशन के लेखापरीक्षकों ने वर्ष 1966-67 और 1967-68 के खातों के रख-रखाव में बहुत सी अनियमितताएं बताई हैं । एसोसिएशन एक स्वायत्त निकाय है ; इसलिए सुधार के लिये उपाय करना और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, यदि कोई आवश्यक हो, उन्हीं पर निर्भर करता है । 1968-69 वर्ष (31 अगस्त, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि) के जंचे हुए लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

सीमा सुरक्षा दल द्वारा हिन्दू परिवारों की गिरफ्तारी

4589. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमा सुरक्षा दल ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर शेरपुरा के निकट भारतीय राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते हुए सात हिन्दू परिवारों को गिरफ्तार किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब ये परिवार दण्डाधीश के सामने पश किये गये, तो उन्होंने अपने बयानों में पाकिस्तान में हिन्दुओं पर किये जा रहे घोर अत्याचारों का उल्लेख किया था ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पाकिस्तान में हिन्दू परिवारों की सुरक्षा के लिए सरकार का कोई उपाय करने का विचार है ?